न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—98 / 18 (2018 / 00223) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रामनारायण पिता घीसुलाल ब्राहम्ण निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—ओमप्रकाश पिता घीसुलाल ब्राहम्ण निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—प्रहलाद पिता घीसुलाल ब्राहम्ण निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—पुष्पा पुत्री घीसुलाल ब्राहम्ण निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—घीसुलाल पिता कजोड़ ब्राहम्ण निवासी बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—चौथमल पिता हरलाल कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1—जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थी
2—फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 10.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम धूलखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबदी में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 की मौरूसी पैतृक साबिक कृषि आराजियात साबिक कृषि खाता संख्या 3 में अकित एवं नवीन आराजी संख्या 511, 518, 530, 532, 533, 534, 627, 629, 630, 631, 632 कुल किता 11 कुल रकबा 4.46 है0 कायम किये गए। उक्त वर्णित कृषि आराजियात भूमियां में प्रार्थीगण एवं पुरूषोतम व विपक्षी संख्या 1 की मौरूषी कृषि भूमियां है जिससे प्रार्थीगण व पुरूषोंतम एवं विपक्षी संख्या 1 सयुक्त रूप से काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 का जायंदा पुत्र एवं पुत्री है जिससे उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियो में प्रार्थीगण के पिता के 1/3 हिस्से में प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा है परन्तु विपक्षी संख्या 2 अपने पुत्र पुरूषोतम के बहकावें में होकर उक्त कृषि भूमियो में निहित अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से को विधिक आवश्यकता के विक्रय का प्रार्थीगण को अपने जायज हक से महरूम करने पर आमादा है तथा इस हेतु पुरूषोतम ने विपक्षी संख्या 1 को बहला फुसलाकर उक्त वादग्रस्त कृषि आराजियात में अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से को विक्रय करने के लिये दिनांक 02.11.2018 को विपक्षी संख्या 2 से रूपये लेकर उसके पक्ष में इकरारनामा निष्पादित कर दिया है तथा 02.12.2019 तक विक्रयपत्र का पंजीयन कराने का इकरार कर लिया है। विपक्षी संख्या 1 को अपने 1/3 की सम्पूर्ण भूमियो को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण विपक्षीगण विरूद्व ता फैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की ग्राम धूलखेड़ा साबिक कृषि खाता संख्या 3 में अकित एवं नवीन आराजी संख्या 511, 518, 530, 532, 533, 534, 627, 629, 630, 631, 632 कुल किता 11 कुल रकबा 4.46 है0

विधिक अधिकार नही है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण विपक्षीगण विरूद्व ता फैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की ग्राम धूलखेड़ा साबिक कृषि खाता संख्या 3 में अंकित एवं नवीन आराजी संख्या 511, 518, 530, 532, 533, 534, 627, 629, 630, 631, 632 कुल किता 11 कुल रकबा 4.46 है0 भूमि में विपक्षी संख्या 1 अपने 1/3 हिस्से मे से 4/6 हिस्से यानि सम्पूर्ण खाते में 2/9 हिस्से विपक्षीगण किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नही करे तथा विपक्षी संख्या 3 विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कीसी भी दस्तावेज को पंजीयन नही करे। तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। यदि दौराने वाद विपक्षीगण प्रार्थीगण 2/9 हिस्से भूमियो को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस कर प्रार्थीगण को कब्जे कास्त से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवा कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी सख्या 2 की और से अधिवक्ता उपस्थित जिनको द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नही की गई व 3 मे से कोई अनुतोष नही चाहा गया है जो फोरमल पक्षकार है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की मौरूषी/पैतृक भूमि है जिनके द्वारा विभाजन का वाद पेश किया जो विचाराधीन है दिनांक 19.11.2018 को अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी उसके उपरान्त भी विपक्षी की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया इससे प्रमाणित होता है कि विपक्षीगण को इस बाबत् कोई आपत्ति नही है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 19.11.2018 को जारी अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम धूलखेड़ा की आराजी संख्या 511, 518, 530, 532, 533, 534, 627, 629, 630, 631, 632 कुल किता 11 कुल रकबा 4.46 है0 भूमि को विपक्षी संख्या 1 कीसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नही करे एवं रेकार्ड और मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10.12.19
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.21 14:16:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: